डॉटर्स आर प्रीसियस सेलेब्रेशन @ स्वतंत्रता सैनानी बेगाराम आईटीआई

राष्ट्रीय बालिका दिवस – 24 जनवरी, 2018

E-mail : Danikasspass@gmail.com

सीकर, गुरूवार, 25 जनवरी 2018, पेज नं. 6

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुए कार्यक्रम

कोलसिया। कोलसिया 'घटता लिंगानुपात, बढ़ता अपराध'' तथा बालक-बालिकाओं के अनुपातिक असंतुलन को रोकने के लिए सरकार ने लिंग जांच रोकने के उद्देश्य से गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम 1994 कानून बनाया है, जिसे हम पीसीपीएनडीटी एक्ट कहते हैं। इस एक्ट की भावना को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन झुन्झुनू के तत्वावधान में कन्धे से कन्धा मिलाकर स्थानीय स्वतंत्रता सैनानी चौधरी बेगाराम आईटीआई,

कोलसिया ''डॉटर्स आर प्रीसियस'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में झुन्झुनू में आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित आईटीआई के अनुदेशक देवीलाल, ने पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी प्रदान की तथा जन्मपूर्व होने वाली भ्रूण जांच की संभावनाओं को प्रशासन को सूचना कर जानकारी में लाने के संबंध बताया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवायी गयी वीडियो फिल्में आईटीआई स्टॉफ एवं प्रशिक्षणार्थियों के साथ श्रीमती रामादेवी महिला महाविद्यालय एवं कमलनिष्ठा विद्या निकेतन कोलसिया के स्टॉफ एवं विद्यार्थियों ने भी देखी तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संकल्प लेते हुए डेप रक्षक बनकर जिला प्रशासन के इस अभियान का हिस्सा बनने का दृढ़ निश्चय किया। स्वतंत्रता सैनानी चौधरी बेगाराम स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी डा. धर्मपाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री धुड़ाराम ने सभी को डेप बनने की शपथ दिलवायी। इस कार्यक्रम में कमलनिष्ठा विद्या निकेतन के विकास, अजीत, सुनीता ने भी संबोधित किया। आईटीआई अनुदेशक कमलेश कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया।

67 प्रतिभा छा

सूरजगढ़। जीवेम् ईकाई श्री पालीरा पुरस्कार 22 जनवरी को वसन्त पंच करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य

राजस्थान में लुप्त होती बेटियाँ

बालिकाओं के प्रति लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता/सकती हूँ ?

- अपने आस–पड़ोस के लोगों को बालिकाओं की घटती हुई संख्या की जानकारी दें।
- लड़कों के मुकाबले कम होती लड़कियों की संख्या से समाज में होने वाले दुष्प्रभाव जैसे छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं की खरीद फरोख्त, लड़को की शादी न हो पाना आदि के बारे में बतायें।
- बालिकाओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायें।
- अपने परिवार व आस–पड़ोस में लोगों को लिंग जांच एवं चयन कानूनन निषेध है के बारे में जानकारी दें।
- लड़की के जन्म लेने पर भी उसी प्रकार उत्सव मनायें जैसे लड़के के जन्म पर मनाते हैं।
- लड़कियों को भी लड़कों की तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर दें।
- उपलब्धि पाने वाली बेटियों के उदाहरणों को समाज के सामने प्रस्तुत करें।
- जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना बालिकाओं का भी अधिकार है। इस हेतु आमजन को जानकारी दें।
- जनगणना 2011 के अनुसार 1000 लड़कों पर 0–6 वर्ष के आयु की 883 लड़कियाँ ही हैं, यानि कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ कम हैं।

बेटी है कुदरत का उपहार, जन्म लेने का उसको भी अधिकार

लिंग जांच कानून क्या है?

कहीं आप कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं ?

सरकार ने लिंग जांच रोकने के उद्देश्य से गर्भधारण पूर्व और
प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 कानून बनाया है
जिसे हम पीसीपीएनडीटी एक्ट कहते हैं

**इस कानून के अन्तर्गत गर्भ में पल रहा भ्रूण,
लड़का है या लड़की, ये जानना कानूनन अपराध है।**

चिकित्सक एवं चिकित्सालयों से संबंधित पीसीपीएनडीटी कानून के तहत अपराध

- क्लिनिक का पंजीकरण कराये बिना सोनोग्राफी मशीन का इस्तेमाल करना।
- गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग चयन व निर्धारण की जानकारी देना।
- गर्भवती महिला से संबंधित जानकारी एवं रिकार्ड का रख रखाव न करना।
- लिंग जांच व लिंग चयन से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने पर उसे 3 साल की जेल और 10,000/– रु. तक का जुर्माना हो सकता है।

पीसीपीएनडीटी कानून के तहत अपराध

- गर्भवती महिला को लिंग जांच व लिंग चयन कराने के लिए प्रेरित करना अथवा उस पर दबाव बनाने वाला व्यक्ति।

कानून के तहत दण्ड प्रावधान

- कोई भी व्यक्ति, तकनीकी विशेषज्ञ, चिकित्सक, अल्ट्रासाउण्ड संचालक अथवा तकनीकी सहयोगी गर्भधारण पूर्व अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग चयन/जांच करता/करती है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 1,00,000/– रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

मुखबिर योजना

लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को लिंग परीक्षण की शिकायत सत्य पाये जाने पर [redacted] – रु. की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जायेगी एवं उक्त मामले में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप विरचित होने के पश्चात् [redacted] – रु. की अतिरिक्त राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जायेगी। इस प्रकार कुल [redacted] – रु. की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी। सूचना देने वाले की जानकारी पूर्णतया गोपनीय रहेगी।

राज्य स्तर पर हैल्पलाईन नं. : 0141-2222422/2221812 ई–मेल : pcpndt-rj@nic.in
or Dial : हैल्प लाईन टोल फ्री – 104

बालिकाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने हेतु जन अभियान